प्रेषक,

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 01 जुलाई, 2026**

विषयः जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में लोअर सैंजनी बैराज एवं नहर प्रणाली की पुनर्स्थापना की पुनरीक्षित परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-919/68/परियोजना/कैम्प/बजट, दिनांक 26.05.2026 के प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में लोअर सैंजनी बैराज एवं नहर प्रणाली की पुनर्स्थापना की पुनरीक्षित परियोजना** लागत रू0 8395.54 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध

1. व्यय वित्त समिति द्वारा मूल प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों पर हुए व्यय को यथावत् सम्मिलित करते हुए प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत अनुमोदित की गयी है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग / कार्यदायी संस्था का होगा।
2. मूल प्रायोजना के इतर पुनरीक्षित प्रायोजना में कराये गये निर्माण कार्यों एवं उन पर हुए समस्त व्यय का उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।
3. केन्द्र/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी विभिन्न वित्तीय आडिट संस्थाओं यथा Comptroller and Auditor General of India (CAG), Accountant General of Uttar Pradesh (AG), The Public Accounts Committee (PAC) विधान सभा, उ०प्र० इत्यादि द्वारा प्रायोजना के क्रियान्वयन इत्यादि के सम्बन्ध में भविष्य में यदि कोई प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है, तो उस टिप्पणी के निराकरण इत्यादि का समस्त उत्तरदायित्व विभाग /कार्यदायी संस्था का होगा।
4. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित भूमि अध्याप्ति न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर विभाग द्वारा अपने उत्तरदायित्व पर किया जायेगा।
5. वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र दिनाँक 03-08-2022 के अनुसार सिविल निर्माण कार्यों पर दिनाँक 18-07-2022 से जी०एस०टी० की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी, जिसके दृष्टिगत लागत का आंकलन सम्पादित कार्यों पर 12 प्रतिशत एवं अवशेष कार्यों पर 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० अनुमन्य कर किया गया है। विभाग का दायित्व होगा कि भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही विभाग का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील /ग्रिट/ मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं०-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ विभाग का होगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

7. प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय /वित्तीय अनुमोदन के उद्देश्य से किया गया है। प्रश्नगत परियोजना के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाये।
8. प्रायोजना प्रस्ताव /आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- डिजाइन व ड्राइंग में परिवर्तन होना, नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
9. प्रायोजना के अवशेष कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में इसी लागत में पूर्ण कर लिया जायेगा तथा टाइम ओवर रने एवं कास्ट ओवर रन इत्यादि के कारण प्रायोजना के पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।
10. परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक/गुणवत्ता का दायित्व सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का होगा। उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर लिए जाएं।
11. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
12. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिए गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
13. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानो, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शामनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
14. विभाग द्वारा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य / मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य / मद में किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा।
15. विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
16. विभाग द्वारा वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्ति करके ही परियोजना निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
17. प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग इसी वितीय वर्ष में कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में शासन को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
18. विभागीय तकनीकी समिति की बैठक में लगायी गयी शर्तों का विभाग द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्रित कराया जाएगा। प्रायोजना पर मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ विभाग का होगा।
19. परियोजनान्तर्गत सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/ 2023/ए-2-66/दस-2023-17(4) /75 दिनांक 19.05.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
20. परियोजनान्तर्गत अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत / आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

21. 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
22. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
23. कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे तथा प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-8 पर वित्त विभाग एवं शासन को प्रतिमाह निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-196-X-2026-27 दिनांक 30 जून, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव ।

संख्या-636(1)/2026/505 पी/26-27-सिं०-4-001-CN-1175769, तद्दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
3- प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
4- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
6- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
7- मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (रूहेलखण्ड), बरेली/ मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मुरादाबाद।
8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रामपुर, उ०प्र०।
9- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8/ नियोजन अनुभाग-3/सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
11- नोडल अधिकारी/अनुसचिव (लेखा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।